

अध्याय 6:

निष्कर्ष



6.1 निष्कर्ष

नौसेना के बल स्तरों में कमी हो रही हैं। यह विडम्बनात्मक स्थिति ऐसे समय पर आयी है, जब नौसेना की जिम्मेदारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और उसकी समुद्री क्षमता में उत्पन्न कमी को रोकने की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पोतों की सेवामुक्ति और नए अधिष्ठापनों के अभाव के कारण, विशेष रूप से फ्रिगेटों/ध्वंसकों का बलस्तर इस वर्ग के अंतर्गत प्लेटफार्मों की न्यूनतम निर्धारित 'क' संख्या के स्थान पर केवल 84 प्रतिशत पोतों में गिर गया है। एक अन्य समस्या, जिसका नौसेना सामना कर रही है, वह इन प्लेटफार्मों की उच्च औसत आयु है। पोतों की वांछित संख्या और वर्तमान बल स्तर में जो अंतर है, उसे पूरा करने हेतु समयबद्ध पोतनिर्माण एवं अधिष्ठापन अनिवार्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने एक बड़ा पोतनिर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ किया है।

इस तरह, स्वदेशी पोतनिर्माण क्षमता का निष्पादन नौसेना की सक्रियात्मक कार्यक्षमता एवं तत्परता प्राप्त करने में निर्णायक है। यद्यपि, भारत ने पिछले कई वर्षों से पोतनिर्माण में विश्वसनीय सामर्थ्य प्राप्त किया है, फिर भी एम.डी.एल., जी.आर.एस.ई. एवं जी.एस.एल.को, जिन तीन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें अपनी भूमिका, सुविज्ञता वाले क्षेत्र और उत्पादन क्षमता के सम्बन्ध में काफी अंतर है। कुल मिलाकर, पूर्व औसत के आधार पर इन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वर्तमान पोतनिर्माण क्षमता प्रतिवर्ष लगभग चार पोतें हैं, जो नौसेना की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बहुत कम है। और भी महत्वपूर्ण यह है कि अग्रणी फ्रिगेटों और ध्वंसकों के निर्माण हेतु कोर क्षमता वर्तमान में केवल एम.डी.एल.के पास है। अन्य दो प्रांगणों ने पूर्व में छोटे पोतों या प्रमाणित डिज़ाइन वाले पोतों का निर्माण किया है।

युद्धपोत निर्माण, अपने आप में एक जटिल, अधिक समय लेने वाली और पुनरावृत्तीय प्रक्रिया है। तथापि, भारतीय नौसेना के पोतनिर्माण प्रोजेक्टों के विलम्ब काल तथा न्यून-अनुमान की मात्रा से एक गंभीर स्रणता का पता चलता है।

युद्धपोत निर्माण प्रोजेक्ट केवल सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट को संस्वीकृति देने के पश्चात् उचित गांभीर्य के साथ प्रारम्भ होते हैं। आवश्यक निधियों की प्रमात्रा को देखते हुए, इस मामले में सक्षम वित्तीय प्राधिकारी मंत्रीमंडल/सुरक्षा की मंत्रीमंडलीय समिति है। लेखा परीक्षा में देखा गया कि सुरक्षा की मंत्रीमंडलीय समिति के सामने प्रक्षिप्त की गई लागतें न केवल एकांकी, तदर्थ और गलत निर्माण अवधि पर आधारित थी, अपितु, नियोजित शस्त्र और उपस्कर पैकेज भी प्रारम्भिक तथा अधिक से अधिक निर्देशात्मक थे।

इस प्रकार, लागत अनुमान और निर्माण अवधि, जिनमें बहुत संशोधन करने पड़े के साथ-साथ उपस्कर और शस्त्र पैकेज में भी बाद में काफी परिवर्तन किए गए। शस्त्र एवं उपस्कर पैकेज में बाद में परिवर्तन किए जाने से पोत निर्माण प्रोजेक्ट पर प्रपाती प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसके कारण पोत डिज़ाइन और मदों की वास्तविक प्राप्ति में भी परिवर्तन हुए। प्रोजेक्ट के प्रारम्भ में शस्त्र और उपस्कर पैकेज को अंतिम रूप न दिए जाने का पहलू 'शस्त्र एवं सेंसरों के आधार पर पोत का डिज़ाइन' के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नियमों से विचलन था, जिसमें शस्त्र एवं सेंसरों का चयन और उनको अंतिम रूप देने का काम पहले किया जाता है तथा चयनित मदों के अनुकूल पोत डिज़ाइन किया जाता है। इस पैकेज को अंतिम रूप देने में विलम्ब का कारण प्रारम्भ में चयनित मदों की अनुपलब्धता, बेहतर विकल्पों का उभरकर आना और स्वदेशीकरण प्रयासों में विलम्ब आदि था।

भारतीय प्रसंग में युद्धपोत निर्माण की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि भारतीय नौसेना दूरदर्शी डिज़ाइन के प्रतिमान का अनुसरण करती है। इस प्रकार, नौसैनिक पोतों के पोतनिर्माण प्रोजेक्ट एक सहवर्ती डिज़ाइन दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसमें किए जाने वाले अनुवर्ती तथा निरंतर परिवर्तनों से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ डिज़ाइनों की फ्रीज़िंग और फलतः निर्माण में विलम्ब हो जाता है।

बड़े युद्धपोतों का निर्माण करने में समर्थ पोतप्रांगणों का अत्यंत सीमित पूल में होने के बावजूद, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि पोतप्रांगणों के एक बार नामांकन के बाद उन्हें लागत व समय पर पोतों को पूरा करने में समर्थ बनाने हेतु आवश्यक अवसंरचना प्रदान की गई है। अवसंरचना विकास के कार्यक्रम देर से प्रारम्भ किए गए और साथ ही विलम्बों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जहाँ ये प्रोजेक्ट या तो उस पोतनिर्माण प्रोजेक्ट के बाद या उसके दौरान पूरे किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार द्वारा उन्हें संस्वीकृति दी गई थी।

कुल मिलाकर, प्रोजेक्ट प्रबंधन में भी कमियां थीं। संविदा करने में विलम्ब था, जिससे संविदागत लागत और समय सीमाओं का कमज़ोर प्रबंधन हुआ। नियंत्रण और परिवीक्षा का कार्य भी अप्रभावी साबित हुआ, क्योंकि लागत और समय सीमाएं प्रोजेक्ट अवधि के अधिकांश भागों के लिए अस्थिर रही। इसके अतिरिक्त एकीकृत मुख्यालय (भारतीय नौसेना) में अपनी भूमिका और पोतनिर्माण के उत्तरदायित्व पर आधारित अनेक दायित्व केन्द्र हैं लेकिन बिना किसी ऐसे एकल नियंत्रण बिंदु के, जो समन्वय और संपूर्ण नियंत्रण कर सके। कमज़ोर वित्तीय नियंत्रण भी देखे गए, जिसमें कारण वास्तविक उपयोग के बिना लम्बी अवधियों तक पोतप्रांगणों को निधियों का अधिक विमोचन किया गया।

उपस्करों आदि की अधिप्राप्ति में भी विलम्ब हुआ और पर्याप्त प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता के अभाव जैसी अदक्षताओं से जूझना पड़ा।

कुल मिलाकर, यद्यपि, भारत ने बड़े पूंजीगत नौसैनिक युद्धपोतों के स्वदेशी निर्माण में अपनी क्षमता का प्रत्ययनीय प्रदर्शन किया है और वह विश्व की ऐसी कुछ नौसेनाओं में से एक है, जो युद्धपोतों का डिज़ाइनिंग व निर्माण करने में समर्थ है, तथापि, नौसेना को न केवल प्रयास हेतु अपेक्षित संसाधनों के विस्तार के कारण ही, बल्कि इस कारण भी कि भारतीय नौसेना की सक्रियात्मक तत्परता, कार्यक्षम तथा कुशलता से संचालित युद्धपोत निर्माण प्रोजेक्टों पर निर्भर है, इस क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन करना है।

नई दिल्ली
दिनांक

(सी एम साने)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वायु एवं नौसेना

प्रतिहस्ताक्षर

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक